न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3612–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–9–14 पारित द्वारा तहसीलदार धार जिला धार प्रकरण कमांक 103/अ–6/13–14.

ओमप्रकाश पिता यशवंतराव सालुके
निवासी ग्राम नारायणपुरा, तहसील धार ....आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती सविता पति प्रदीप सालुके
निवासी स्कीम नं. 54, विजय नगर, इन्दौर
2– अमेय पिता प्रदीप सालुके आज्ञापालनकर्ता–
माता श्रीमती सविता पति प्रदीप सालुके
निवासी स्कीम नं. 54, विजय नगर, इन्दौर
3– संदीप पिता ओमप्रकाश सालुके
निवासी ग्राम नारायणपुरा, तहसील धार ....अनावेदकगण

श्री अखिलेश शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय जैन, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 व 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/7/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार धार जिला धार द्वारा पारित आदेश 29–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा तहसीलदार, धार के समक्ष संहिता की धारा 109 एवं 110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 103/अ–6/13–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर व्यवहार न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–2–2014 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुए कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है । अतः प्रश्नाधीन भूमि में स्वत्व का प्रश्न निहित है, और स्वत्व का निराकरण करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं होकर व्यवहार न्यायालय को है, विवादित भूमि से सम्बन्धित प्रकरण व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन होने से व्यवहार न्यायालय के निराकरण तक कार्यवाही स्थगित की गई । साथ ही प्रकरण दायरा पंजी से कम होकर अतिरिक्त तहसीलदार वृत 4 को भेजा गया । तत्पश्चात अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा जारी स्थगन के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित की गई थी । तहसील न्यायालय से स्थगन प्राप्त होने के उपरांत आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय से अपना आवेदन पत्र वापिस ले लिया गया है, अतः प्रकरण में कार्यवाही की जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 29–9–2014 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुए कि व्यवहार न्यायालय का स्थगन वर्तमान में प्रभावी नहीं है, प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ कर मूल आपत्ति पर तर्क हेतु नियत किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए :–

1– तहसील न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांन्त के प्रकाश में कि नामान्तरण की कार्यवाही व्यवहार न्यायालय के अधीन होती है, इसलिए स्थगित रखी जानी चाहिए, उनके न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही स्थगित की गई थी ।

पत्र निरस्त हुआ, और स्थगन को प्रभावहीन कर दिया गया । अतः तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय का स्थगन प्रभावहीन होने से दिनांक 29–9–2014 को आदेश पारित कर कार्यवाही प्रारम्भ करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है ।

2– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक न्याय दृष्टान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि मात्र व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने से राजस्व न्यायालय की कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है ।

3– प्रश्नाधीन भूमि में ओमप्रकाश का कोई स्वत्व निहित नहीं है, इसीलिए व्यवहार न्यायालय द्वारा भी स्थगन नहीं दिया गया है ।

4– आवेदक द्वारा स्वयं तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किए जाने का मौखिक निवेदन किया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 29–9–2014 को प्रकरण में आदेश पारित कर प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से सूचना उपरान्त भी किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पूर्व में दिनांक 28–2–14 को आदेश पारित कर स्वत्व का प्रश्न निहित होने से प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही इस निष्कर्ष के साथ स्थगित की गई है कि स्वत्व के निराकरण का क्षेत्राधिकार व्यवहार न्यायालय को है । तदोपरांत अनावेदकगण की ओर से संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के अन्तर्गत स्थगन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है, अतः प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 29–9–14 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुये कि व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन आदेश वर्तमान में प्रभावी नहीं है, प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है क्योंकि व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने मात्र से राजस्व न्यायालय द्वारा

2– तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–2–2014 के विरूद्ध अनावेदिका क्रमांक 1 सविता बाई द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जो कि दिनांक 28–7–2014 से निरस्त हुई है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रकरण पुनः प्रारम्भ करने का आदेश दिनांक 29–9–2014 को पारित किया गया है वह निरस्त किए जाने योग्य है क्योंकि अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रारम्भ करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है, और तहसीलदार द्वारा बिना स्वमेव निगरानी की प्रक्रिया अपनाये कार्यवाही की गई है, जो कि विधि विपरीत है ।

3– तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, इसलिए ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ से ही शून्यवत है ।

4–. व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित होने से तहसीलदार स्वयं के द्वारा पारित आदेश को बदल नहीं सकते हैं ।

5– तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2014 अन्तिम स्वरूप का आदेश होने से पुनः कार्यवाही प्रारम्भ करने में रेस्ज्यूडीकेटा की बाधा आती है ।

6– तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–2–2014 को आदेश पारित कर कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, इसलिए आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र पर कोई बल नहीं दिया गया, जिस कारण वह निरस्त हुआ है । जिसके विरूद्ध तृतीय अतिरिक्त जिला जज के यहां अपील लम्बित है, जिसमें उसे पूर्ण सफलता मिलने की आशा है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए :–

1– आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रकरण क्रमांक 15 ए/14 प्रस्तुत किया गया था, साथ में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के अन्तर्गत स्थगन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । व्यवहार न्यायालय द्वारा वाद के अन्तिम निराकरण तक राजस्व न्यायालय के नामान्तरण की कार्यवाही स्थगित किए जाने का आदेश प्रदान किया गया । उक्त आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–2–2014 को आदेश पारित कर उनके न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही स्थगित कर दी गई, इसलिए व्यवहार न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर स्थगन पर बल नहीं दिया गया, जिस कारण आवेदन

कार्यवाही स्थगित करना विधिसंगत नहीं है, जब तक व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त न किया गया हो । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसीलदार द्वारा कार्यवाही स्थगित कर दी जाने के कारण व्यवहार न्यायालय में आदेश 39 नियम 1 व 2 के अन्तर्गत स्थगन आवेदन पत्र पर कोई बल नहीं दिया गया, इस कारण स्थगन आवेदन पत्र निरस्त हुआ है और जिसके विरूद्ध तृतीय अतिरिक्त जिला जज के यहा अपील लंबित है । कारण चूँकि वर्तमान में व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन नहीं है इसलिये तहसीलदार द्वारा कार्यवाही स्थगित किया जाना उचित नहीं है । यदि तृतीय अतिरिक्त जिला जज के यहॉ से स्थगन प्राप्त हो जाता है तब आवेदक तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही स्थगित कर सकता है, मात्र व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित रहने से राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित की जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है । उनका यह तर्क भी अमान्य किये जाने योग्य है कि पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–2–14 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील निरस्त की गई है इसलिये बिना वरिष्ठ न्यायालय के निर्देश के तहसीलदार द्वारा स्वमेव निगरानी से कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–2–14 के विरूद्ध प्रथम अपील निरस्त की गई है । इस कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष किसी प्रकार का कोई प्रकरण प्रचलित नहीं है इसलिये उनके निर्देश देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, धार जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–14 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर